पुनरीक्षण क्रमांक ...../2013
प्रस्तुति दिनांक .....

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

1) बाबू पिता हेमराज मूणिया निवासी : ग्राम पंथ बोराली
2) अम्बाराम पिता बाबू मूणिया निवासी : ग्राम पंथ बोराली
3) मांगू पिता हेमराज मूणिया निवासी : ग्राम पंथ बोराली ...पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1) सूरजी पिता बाबू गरवाल निवासी : ग्राम पंथ बोराली
2) देवा पिता बाबू गरवाल निवासी : ग्राम पंथ बोराली
3) हरचंद उर्फ हंसराज पिता बाबू गरवाल निवासी : ग्राम पंथ बोराली
समस्त तहसील पेटलावद जिला झाबुआ (म.प्र.) ...विपक्षीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से पुनरीक्षण प्रस्तुत कर निवेदन है कि – सदर की पुनरीक्षण न्यायालय सीमा अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा अपने द्वितीय अपीलीय प्रकरण क्रं. 418/2010–2011/अपील में पारित आदेश दिनांक 07–08–2013 में अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पेटलावद व अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व पेटलावद के आदेशों को स्थिर रखे जाने से असंतुष्ट होकर श्रीमान के समक्ष पुनरीक्षण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ [वाद्र/सुरजी]

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4138—दो/2013 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19—6—2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7—8—2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के नाम वर्ष 1997--98 के खसरे में दर्ज है । आवेदकगण द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की हैं । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 पेटलावद द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमियों पर न तो आवेदकगण स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने के आदेश दिये गये हैं इसके बावजूद भी आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जा किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा हटाने संबंधी आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	